न्यायालयः—तृतीय अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, शहडोल (म0प्र0)
पीठासीन अधिकारी :— प्रिवेन्द्र कुमार सेन

Registration No.-	**MACC-137/2018**
Filing No.-	**MACC- 629/2018**
CNR No. -	**MP1801003600/2018**
Filing Date-	**11-10-2018**

01—	नानटोरिया बैगा पति स्व0 श्री ललुआ बैगा, उम्र 40 वर्ष,
02—	पंचू बैगा पिता स्व0 श्री ललुआ बैगा, उम्र 22 वर्ष,
03—	कु0 चन्द्रकला बैगा पिता स्व0 श्री ललुआ बैगा, उम्र 17 वर्ष,
	आवेदक क्रमांक—3 का प्राकृतिक माता गार्जियन बेवा नानटोरिया बैगा पति स्व0 श्री ललुआ बैगा, उम्र 40 वर्ष, सभी निवासी—ग्राम हर्रा टोला गोहपारू थाना तहसील गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0
	..... आवेदकगण
	बनाम
01—	उमेश बैगा पिता रामसेवक बैगा, उम्र 36 वर्ष, निवासी—ग्राम देवदहा थाना तहसील गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0 **(वाहन न्यू ऑटो का चालक व पंजीकृत का मालिक स्वामी)**
02—	प्रबंधक दि ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय सर्किट हाउस चौक सतना जिला सतना म0प्र0 **(वाहन न्यू ऑटो का बीमा करने वाली कंपनी)**
	.....अनावेदकगण

01–	आवेदक द्वारा– श्री विकास तिवारी अधिवक्ता।
02–	अनावेदक कं.–1 एकपक्षीय।
03–	अनावेदक कं.–2 बीमा कंपनी की ओर से श्री डी.एन. पाठक अधिवक्ता।

–:: अधिनिर्णय ::–

{ आज दिनांक– 06.03.2023 को पारित किया गया }

01– आवेदकगण की ओर से अनावेदकगण के विरूद्ध यह क्षतिपूर्ति आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दिनांक–17.08.18 को वाहन न्यू ऑटो द्वारा कारित दुर्घटना में मृतक ललुआ बैगा की क्षतिपूर्ति के लिये 60,00,000/– रुपए दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02– आवेदकगण का दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि– दिनांक 17.08.2018 को मृतक ललुआ बैगा वाहन न्यू ऑटो में बैठ कर जा रहा था जैसे ही समय रात्रि 11:20 बजे रग्गू बैगा के घर के पास दियापीपर, गोहपारू पहुंचे की वाहन न्यू ऑटो का चालक वाहन को बड़ी तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ऑटो से गिरा दिया जिससे ललुआ बैगा को गम्भीर चोंटे आई और मृत्यु हो गई जिसका पी.एम. जिला चिकित्सालय शहडोल में कराया गया। जिला चिकित्सालय शहडोल के चिकित्सक द्वारा शव का पी0एम0 किया गया। दुर्घटना के समय अनावेदक कं0–1 वैध लाईसेंसधारी होकर चालक था और अनावेदक कं0–2 उसकी बीमा कंपनी थी।

03– आवेदकगण का दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि– दुर्घटना के समय मृतक 50 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति था। वह मजदूरी का कार्य एवं आधुनिक तरीके से कृषि कार्य का काम करता था जिससे वह 19,000/–रूपये प्रतिमाह आमदनी प्राप्त करता था तथा वर्ष में 2,28,000/–रूपये की आमदनी प्राप्त करता था। 65 वर्ष की आयु मतलब 15 वर्ष में 34,20,000/–रू0 की आमदनी प्राप्त करता। मृतक ललुआ बैगा का भविष्य में अधिक से अधिक आय अर्जित करता परन्तु दुर्घटना से भविष्य

में होने वाली आय लगभग 60,00,000/–रू0 तथा मृतक ललुआ बैगा की मृत्यु हो जाने से पत्नी, पुत्र, पुत्री को अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भोगना पड़ रहा है तथा उसकी पत्नी दाम्पत्य जीवन से वंचित हो गयी जिसके लिये आवेदकगण 7,00,000/–रूपये तथा जिला चिकित्सालय शहडोल के चिकित्सक द्वारा शव का पी0एम0 किया गया व शव पी0एम0 के बाद गृह ग्राम तक शव को ले जाने व अंतिम संस्कार व परिचालक परिवहन खर्च आदि में 2,00,000/– रूपये नगद खर्च हुआ जिसके लिये आवेदकगण अनावेदकगण से कुल 60,00,000/–रूपये संयुक्तः या पृथक–पृथक क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाकर उस पर दावा दिनांक से वसूली दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाया जावे।

04– अनावेदक क्रं0–1 का जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि– आहत की उम्र के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है और न ही आय का कोई प्रमाण पत्र पेश किया है। मृतक 70 वर्ष का होकर अपने बच्चों पर आश्रित था और शराब पीता था। वह घटना दिनांक 17.08.2018 को हर्रहा टोला सोन नदी के किनारे स्थित प्राचीन शिवालय में श्रीफल चढ़ाने के लिए अपने ड्रायवर के साथ गया तो उसका ड्रायवर बोला कि वह अपने घर में रात में रूक जायेगा तो लौटते वक्त उसका नजदीकी रिश्तेदार मृतक समधी मिल गया और बोला कि वह भी गोहपारू तक साथ में चलेगा। मना करने पर मृतक स्वयं जबरदस्ती ऑटो में बैठ गया। गौधूलि बेला के बाद लगभग 08.00 बजे वह दुर्घटनाग्रस्त ऑटो को धीरे–धीरे हर्रहा टोला से ग्राम देवदहा जा रहा था तो उसी दौरान सोन नदी से बेईमानी पूर्वक आशय से बालू की चोरी करके डम्फर बड़ी तेजी से वाहन को चलाते हुये सामने से आ रहा था उसके द्वारा डिपर भी दिया किन्तु डम्फर वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बड़ी तेजी से डम्फर सामने से आ रहा था तो उसने वाहन को सड़क के किनारे पट्टी में नीचे उतार दिया किन्तु अत्यधिक बारिस होने एवं गीली मिट्टी होने के कारण आटो पलट जाने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कारित हो गई। वह अनुभवी चालक होकर सामान्य गति से वाहन का चालन करता है। दुर्घटना के समय वाहन बीमित था जिसके कारण वह क्षतिपूर्ति के लिये दायी नहीं है, उसके विरूद्ध झूठा दावा पेश किया गया है।

05— अनावेदक क्रं0—2 प्रबंधक दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमि0 का जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि— आवेदकगण ने मृतक की आयु से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही चालक का विवरण पेश किया है। घटना दिनाक को अनावेदक क्रं0—1 द्वारा संबंधित ऑटो का पंजीयन सक्षम आर.टी.ओ. कार्यालय में कराये बिना वाहन का संचालन किया जा रहा था जबकि धारा—39 मो0व्ही0एक्ट0 के अंतर्गत ऐसे वाहन को मार्ग पर चलाया जाना प्रतिबंधित है। आवेदकगण द्वारा बिना किसी आधार के बढ़ा—चढ़ा कर क्षतिधन राशि की मांग की गयी है ऐसी स्थिति में आवेदकगण कोई क्षतिधन राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः आवेदन पत्र निरस्त किया जावे।

06— उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा प्रकरण में दिनांक—26.09.2019 को निम्न वाद प्रश्न निर्मित किये गये, जिनके समक्ष साक्ष्य का विश्लेषण का निष्कर्ष अंकित किया जा रहा है :—

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1—	क्या दिनांक 17.08.2018 को रात्रि 11:20 बजे स्थान रग्धू बैगा के घर के पास दियापीपर गोहपारू अंतर्गत थाना गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0 में अनावेदक क्रं0—1 के द्वारा स्वयं के स्वामित्व एवं आधिपत्य के वाहन अनावेदक क्रमांक—2 से बीमित दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त वाहन न्यू ऑटो इंजन क्रमांक S.7M.8785125 चेचिस नंबर M.B.X.0003B.F.V.A.562135 के उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाने से दुर्घटना कारित हुई ?	**प्रमाणित**
2—	क्या उक्त दुर्घटना आई चोटों से आवेदक क्रं.—1 के पति एवं आवेदक क्रमांक—2 व 3 के पिता ललुआ बैगा की मृत्यु कारित हुई ?	**प्रमाणित**
3—	क्या दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त वाहन का चालन	**प्रमाणित**

	मोटरयान अधिनियम अथवा बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत किया जा रहा था ?	
4–	क्या आवेदकगण प्रतिकर राशि पाने के अधिकारी है ? यदि हां तो किससे और कितनी ?	**अधिनिर्णय की कंडिका 49 के अनुसार**
5–	सहायता एवं वाद व्यय?	**अधिनिर्णय की कंडिका 51 के अनुसार**

07– आवेदकगण की ओर से अपने समर्थन में स्वयं आ.सा.–01 पंचू बैगा के कथन कराये गये हैं। अनावेदक क्रं.–2 ने अपने पक्ष के समर्थन में अना0सा0–1 शंभू दयाल शर्मा, अना0सा0–2 अरविंद खलको के कथन कराये गये है। अनावदेक क्रमांक–01 प्रकरण में एकपक्षीय हैं और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

वाद प्रश्न कं.–01 एवं 02 की विवेचना एवं निष्कर्ष–

08– अनावेदक कं0–2 बीमा कंपनी का लिखित में तर्क है कि प्रकरण में आवेदक साक्षी पंचू ने उसके समक्ष दुर्घटना न होना स्वीकार किया है जिसके कारण तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। दुर्घटना दिनांक को मृतक की ऑटो से गिरने से मृत्यु कारित हुई है जिसके कारण आवेदकगण को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने का तथ्य प्रमाणित करना आवश्यक है। समर्थन में न्यायदृष्टांत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम विरूद्ध स्वतंत्र कुमार ए 0आई0आर0–2012–1918, सुरेन्द्र कुमार बनाम मनोज बैसला 2017–2 टी.एस.ई. 417 सुप्रीम कोर्ट का पेश किया।

09– आ0सा0–1 पंचू बैगा (आवेदक कं0–2) ने शपथ के कथनों में बताया कि दिनांक 17.08.2018 को रात्रि 11:20 बजे रग्गू बैगा के घर के पास दियापीपर गोहपारू पहुंचे कि वाहन न्यू ऑटो का चालक उमेश बैगा

बड़ी तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक न्यू ऑटो का चालक गिरा दिया जिससे उसके पिता ललुआ बैगा को गंभीर चोंटे आई और जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी।

10— आवेदकगण ने अपने कथनों के समर्थन में थाना गोहपारू के अपराध क्रमांक—229/2018 अंतर्गत अपराध धारा—279, 304ए भा0दं0वि0 तथा 3/181, 184 मोटर व्ही0एक्ट पक्षकार शासन विरूद्ध उमेश बैगा के अंतिम प्रतिवेदन की थाना प्रभारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियॉ पेश की है जिसका परिशीलन किया गया। प्र0पी0—01 अंतिम प्रतिवेदन, प्र0पी0—02 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्र0पी0—03 मर्ग इंटीमेशन, प्र0पी0—04 अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण, प्र0पी0—05 धारा 174 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही, प्र0पी0—06 मृतक ललुआ बैगा की अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दिनांक 17.08.2018 की सूचना जो कि थाना कोतवाली शहडोल को भेजी गयी थी और जिला अस्पतला चौकी शहडोल द्वारा गोहपारू थाना को भेजी गयी थी। प्र0पी0—07 पंचायतनामा, प्र0पी0—08 नक्शा पंचायतनामा, प्र0पी0—09 शव सुपुर्दगी का प्रमाण पत्र, प्र0पी0—10 प्रश्नगत वाहन का जप्ती पत्रक जिसके साथ डिलीवरी चालान की रसीद जिसमें इंजिन चेचिस नंबर लेख है तथा बीमा दिनांक 30.05.2019 तक वैध है, प्र0पी0—11 अभियुक्त का गिरफ्तारी पंचनामा, प्र0पी0—12 मुचलका और जमानतनामा, प्र0पी0—13 मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट, प्र0पी0—14 मौका नक्शा, प्र0पी0—15 शव परीक्षण आवेदन, प्र0पी0—16 जिला चिकित्सालय को थाना द्वारा लिखा गया पत्र, प्र0पी0—17 मृतक ललुआ बैगा की ओ0पी0डी0 पर्ची दिनांक 17.08.2018 को 08.31 मिनट पर भर्ती किये जाना लेख है। इनपेशेंट हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन की पर्ची प्र0पी0—18, प्र0पी0—19 इंडोर टिकट दिनांक 17.08.2018 की है जिसमें डिस्चार्ज किया जाना लेख है। प्र0पी0—20 टी0पी0आर0 चार्ट, प्र0पी0—21 प्रश्नगत वाहन की मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट, प्र0पी0—22 प्रश्नगत वाहन का डिलीवरी चालान, प्र0पी0—23 बीमा है। अनावेदक क्रं0—01 के आधार कार्ड की सत्यापित प्रति प्र0पी0—24 है।

11— आवेदकगण द्वारा पुलिस द्वारा संस्थित दस्तावेज प्र.पी.—01 से प्र.पी.—23 तक के पेश किए हैं जो कि दुर्घटना के संबंध में है जो कि लोक

दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं और उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता ऐसा ही मत न्यायदृष्टांत–''**अनिल तिवारी तथा अन्य वि0 साहेब सिंह'' तथा अन्य (2001) ए.सी.जे. 471 म.प्र., ''हीरालाल एवं अन्य वि0 लक्ष्मीनारायण'' तथा अन्य 2006 ए.सी.जे. 1019 म.प्र.** में प्रतिपादित किया जिसके कारण उन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

12– आ0सा0–1 पंचू बैगा (आवेदक क्रं0–2) ने प्रतिपरीक्षण दौरान कंडिका–6 में स्वीकार किया कि वह घटना के समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था न ही घटना देखी है। अन्य लोगों के बताये अनुसार घटना की जानकारी हुई थी और घटना के 08 घण्टे पश्चात् पहुंचा था। कंडिका–8 में स्वीकार किया कि अस्पताल में भर्ती करने के एक घण्टे बाद मृत हो गये थे। इस साक्षी ने पुलिस द्वारा संस्थित दस्तावेज प्र0पी0–01 से प्र0पी0–23 के पेश किये हैं जिसके खंडन में अनावेदक क्रं0–01 वाहन मालिक एवं चालक ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि उसके द्वारा दुर्घटना दिनांक को सावधानी से वाहन चलाया जा रहा था जिसके कारण मात्र उक्त स्वीकृति के आधार पर उसके कथनों एवं दस्तावेजों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

13– न्यायदृष्टांत–''**अनिल तिवारी तथा अन्य वि0 साहेब सिंह'' तथा अन्य (2001) ए.सी.जे. 471 म.प्र., ''हीरालाल एवं अन्य वि0 लक्ष्मीनारायण'' तथा अन्य 2006 ए.सी.जे. 1019 म.प्र.** के पेश किये हैं जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि दुर्घटना के मामले में सर्वप्रथम यह प्रमाणित करना होता है कि प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की थी। इस प्रकरण में अनावेदक क्रं0–01 वाहन चालक एवं मालिक ने उपस्थित होकर कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह माना जा सके कि उसके द्वारा दुर्घटना के समय प्रश्नगत वाहन को सावधानी पूर्वक चलाया जा रहा था और मृतक की लापरवाही के कारण दुर्घटना कारित हुई थी जिसके कारण प्रस्तुत न्यायदृष्टांत एवं इस प्रकरण की तथ्य परिस्थितियॉ भिन्न होने से उसका लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

14– आ0सा0–01 पंचू बैगा (आवेदक क्रं0–2) के शपथ के कथनों

का समर्थन उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र.पी.–01 से प्र.पी.–24 से एकमेव होता है, अनावेदकगण ने खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक, समय व स्थान में अनावेदक कमांक–1 ने प्रश्नगत वाहन को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से चलाया जिससे मृतक ललुआ बैगा की ऑटो से गिरकर दुर्घटना में आयी चोंटों से मृत्यु कारित हुई थी जिसमें मृतक ललुआ बैगा की कोई उपेक्षा या अंशदायी उपेक्षा नहीं थी।

15– अतः उपरोक्त साक्ष्य एवं विश्लेषण के आधार पर विचारणीय प्रश्न कं.–01, 02 के संबंध में निष्कर्ष दिया जाता है कि दिनांक 17.08.2018 को रात्रि 11:20 बजे स्थान रग्धू बैगा के घर के पास दियापीपर गोहपारू अंतर्गत थाना गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0 में अनावेदक कं0–1 के द्वारा स्वयं के स्वामित्व एवं आधिपत्य के वाहन अनावेदक कमांक–2 से बीमित दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त वाहन न्यू ऑटो इंजन कमांक S.7M.8785125 चेचिस नंबर M.B.X.0003B.F.V.A.562135 के उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाने से दुर्घटना कारित हुई जिसमें आई चोटों से आवेदक कं.–1 के पति एवं आवेदक कमांक–02 व 03 के पिता ललुआ बैगा की मृत्यु कारित हुई थी और मृतक ललुआ की कोई लापरवाही व उपेक्षा नहीं थी।

वाद प्रश्न कमांक–3 की विवेचना एवं निष्कर्ष–

16– अनावेदक कं0–02 बीमा कंपनी का तर्क है कि दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेश नहीं था। अनावेदक कं0–01 के पास प्रश्नगत वाहन को चलाने का वैध लायसेंस नहीं था जिससे यह प्रमाणित है कि प्रश्नगत वाहन बीमा पॉलसी की शर्तों के उल्लंघन में दुर्घटना के समय चलाया जा रहा था।

17– अना0सा0–1 शंभूदयाल शर्मा (आरटीओ0 कार्यालय शहडोल सहायक वर्ग–2) ने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय से प्राप्त समंस के आधार पर दस्तावेज लेकर उपस्थित हुआ है। उमेश बैगा पिता रामसेवक बैगा निवासी–ग्राम देवदहा के नाम पर आर.टी.ओ. शहडोल कार्यालय में कंप्यूटर में सर्च करने पर इस नाम के व्यक्ति के नाम पर कभी किसी तरह का कोई ड्राइविंग लाईसेंस जारी नहीं किया गया है। उसके

कार्यालय में ऑटो वाहन इंजन नं–57एम87851215 एवं चेचिस नंबर–एम.बी.एक्स000बी.एफ.बी.ए.562135 के वाहन का कोई रजिस्ट्रेशन, फिटनेश और परमिट कम्प्यूटर रिकार्ड अनुसार पंजीकृत होना एवं जारी होना नहीं पाया गया था।

18– अना0सा0–2 अरविंद खलको (प्रशासनिक अधिकारी ओरिएंटल इं0 कं0 के टी0पी0 हब जबलपुर) ने न्यायालयीन कथनों में बताया कि उसके कार्यालय से उमेश बैगा पिता श्री रामसेवक बैगा को दिनांक 06.08.2019 को रजिस्टर्ड डॉक से नोटिस प्र0पी0–4 को भेजकर वाहन का परमिट आर0सी0 फिटनेस ड्राइविंग लायसेंस, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पॉलिसी की कॉपी की मांग की गयी थी।

19– अना0सा0–2 अरविंद खलको (प्रशासनिक अधिकारी ओरिएंटल इं0 कं0 के टी0पी0 हब जबलपुर) ने न्यायालयीन कथनों में बताया कि पश्चात क्लेम प्रकरण की सूचना कंपनी को प्राप्त होने पर कंपनी द्वारा अन्वेषक गिरधारी लाल गुप्ता को घटना की जांच करने हेतु नियुक्त किया गया था। अन्वेषक श्री गिरधारी लाल गुप्ता ने दिनांक 08.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से उमेश बैगा को उसके सही पते पर नोटिस प्र0डी0–5 का देकर परमिट, आर.सी., फिटनेश, ड्राइविंग लाईसेंस, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पॉलिसी की कॉपी की मांग की थी, जिसकी डॉक रसीद प्र0डी0–6 है।

20– अना0सा0–2 अरविंद खलको (प्रशासनिक अधिकारी ओरिएंटल इं0 कं0 के टी0पी0 हब जबलपुर) ने न्यायालयीन कथनों में बताया कि अन्वेषक ने ऑटो वाहन इंजिन नंबर–57एम87851215 एवं चेचिस नं.–एमबीएक्स000बीएफबीए562135 के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल से वाहन के रजिस्ट्रेशन, फिटनेश व परमिट की जानकारी चाही थी जिस पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय शहडोल के द्वारा प्र0डी0–1 लगायत प्र0डी0–3 के जरिये अन्वेषक को यह जानकारी दी गयी कि उक्त ऑटो के लिये उनके कार्यालय से रजिस्ट्रेशन, परमिट व फिटनेश कभी भी जारी नहीं किया गया है। जिसका समर्थन अना0सा0–1 शंभूदयाल शर्मा (आरटीओ0 कार्यालय शहडोल सहायक वर्ग–2) ने भी किया कि प्र0डी0–1 से प्र0डी0–3 के ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

शहडोल श्री आशुतोष भदौरिया के हस्ताक्षर है।

21— अना0सा0—2 अरविंद खलको (प्रशासनिक अधिकारी ओरिएंटल इं0 कं0 टी0पी0 हब जबलपुर) ने न्यायालयीन कथनों में बताया कि उमेश बैगा निवासी ग्राम देवदहा द्वारा अपनी नयी ऑटो वाहन का बीमा उनके कार्यालय से प्र0डी0—7 का कराया गया था जो दिनांक 31.05.2018 से दिनांक 30.05.2019 की अवधि के लिये प्रभावी था। जिसमें शर्त थी कि घटना के वक्त वाहन के स्वामी के पास वाहन को आम मार्ग पर चलाने के लिए वैध रूप से जारी परमिट एवं फिटनेश के साथ—साथ चालक के पास वैध रूप से जारी लायसेंस होना आवश्यक है। इस प्रकरण में घटना दिनांक 17.08.2018 को वाहन स्वामी उमेश बैगा ही स्वयं वाहन का चालक था और उसके पास वाहन का परमिट फिटनेश रजिस्ट्रेशन व वाहन चालन का लायसेंस नहीं था जो कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है, जिसके कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं है।

22— अनावेदक कं0—02 द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनका परिशीलन किया गया। प्र0डी0—01, प्र0डी0—02, प्र0डी0—03 के अनुसार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शहडोल द्वारा अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल गुप्ता को जानकारी दी थी कि प्रश्नगत वाहन आर0टी0ओ0 कार्यालय में पंजीकृत ना होना एवं फिटनेश एवं परमिट जारी ना किया जाना लेख किया था। प्र0डी0—04 उमेश बैगा को बीमा कंपनी द्वारा प्रश्नगत वाहन के दस्तावेजों एवं लायसेंस की मांग की थी तथा प्र0डी0—05 का नोटिस अन्वेषक द्वारा उमेश बैगा को दिया गया था जिसकी रसीद प्र0डी0—06 है। प्र0डी0—07 प्रश्नगत वाहन की बीमा पॉलसी दिनांक 31.05.2018 से 30.05.2019 तक की है जिसमें बीमा पॉलसी की शर्तों का उल्लेख किया गया है।

23— प्रकरण में अनावेदक कं0—01 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह माना जा सके कि उसके पास दुर्घटना दिनांक को वाहन चलाने का वैध ड्रायविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट था। पुलिस थाना द्वारा जो अनावेदक कं0—01 के विरूद्ध प्र0पी0—01 का अभियोग पत्र पेश किया गया है उसमें उसके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181

का अभियोग पत्र पेश किया गया है जिसमें यह प्रमाणित है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक कं0–01 के पास वाहन चलाने का वैध लायसेंस नहीं था।

24– अना0सा0–2 अरविंद खलको (प्रशासनिक अधिकारी ओरिएंटल इं0कं0 टी0पी0 हब जबलपुर) एवं अना0सा0–1 शंभूदयाल शर्मा (आरटीओ0 कार्यालय शहडोल सहायक वर्ग–2) के कथनों एवं दस्तावेज प्र0डी0–01 से प्र0डी0–07 से यह प्रमाणित है कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक कं0–01 द्वारा प्रश्नगत वाहन को बीमा पॉलसी की शर्तों के उल्लंघन में लोकमार्ग पर चलाया जा रहा था।

25– अतः उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर वाद प्रश्न कमांक–03 के संबंध में निष्कर्ष दिया जाता है कि घटना के समय अनावेदक कं0–1 द्वारा वाहन का चालन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा था।

वाद प्रश्न कमांक–04 की विवेचना एवं निष्कर्ष–

26– आवेदक अधिवक्ता का तर्क रहा है कि आवेदक ने अपने साक्ष्य से आवेदक की आय एवं आयु क्षतिपूर्ति आवेदन में बताये अनुसार प्रमाणित की है। अतः आवेदन में कथित अनुसार क्षतिपूर्ति अवार्ड आवेदक के पक्ष में पारित किया जाए।

27– आ0सा0–1 पंचू बैगा (स्वयं आवेदक कं0–2) ने शपथ के कथनों में बताया कि मृतक ललुआ उसका पिता, आवेदक कं.–1 उसकी मां, आवेदक कं.–3 उसकी बहन है। वह, उसकी मां व बहन पिता पर आश्रित थे।

28– आ0सा0–1 पंचू बैगा (आवेदक कं0–2) ने प्रतिपरीक्षण दौरान कंडिका–9 में स्वीकार किया कि उसकी बहन चन्द्रकला का विवाह नहीं हुआ है। वह मजदूरी करता है और उसकी शादी हो चुकी है। मात्र शादी होने के कारण उसका आश्रित ना होना नहीं माना जा सकता है।

29– अनावेदकगण ने खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है कि आवेदकगण मृतक ललुला के कमशः पत्नी, पुत्र व पुत्री नहीं है। अनावेदक कं0–02 द्वारा जो मृतक ललुआ का आधार कार्ड पेश किया है उससे भी

आवेदकगण के पिता एवं पत्नी की पुष्टि होती है। अतः प्रमाणित होता है कि आवेदकगण मृतक ललुआ के क्रमशः पत्नी, पुत्र एवं पुत्री होकर वैध वारिस हैं।

30— आ0सा0—1 पंचू बैगा (आवेदक क्रं0—2) ने शपथ के कथनों में बताया कि उसके पिता ललुआ बैगा की मृत्यु के समय आयु 50 वर्ष थी।

31— आवेदकगण ने अपने कथनों के समर्थन में जो मृतक ललुआ की आयु के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अनावेदक क्रं0—02 द्वारा जो मृतक ललुआ का आधार कार्ड क्रं0—9955 9503 0061 उसका परिशीलन करने पर मृतक ललुआ बैगा की जन्म तिथि 01.01.1967 लेख है। दुर्घटना दिनांक 17.08.2018 है जिससे दुर्घटना के समय मृतक ललुआ की आयु 51 साल 07 माह 16 दिन होना प्रमाणित पाई जाती है।

32— आ0सा0—1 पंचू बैगा (आवेदक क्रं0—2) ने शपथ के कथनों में बताया कि उसके पिता मजदूरी एवं आधुनिक तरीके से कृषि कार्य कर 19,000/—रूपये प्रतिमाह कमाते थे।

33— आ0सा0—1 पंचू बैगा (आवेदक क्रं0—2) ने प्रतिपरीक्षण दौरान कंडिका—07 में स्वीकार किया कि उसके पिता के आधुनिक तरीके से खेती करने के संबंध में मशीनों के बिल पेश नहीं किया है और न ही पिता के नाम की जमीन का कोई दस्तावेज पेश किया हैं। उसने धान खरीदने या बेचने की कोई रसीद पेश नहीं की है। कंडिका—9 में बताया कि उसने पिता की आय का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

34— आवेदकगण ने मृतक ललुआ की आय के संबंध में कोई आय प्रमाण पत्र एवं कृषि भूमि के दस्तावेज पेश नहीं किये हैं जिसके कारण उसकी आय निर्धारित नहीं की जा सकती है। मृतक स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होकर 51 वर्ष का था। अतः दुर्घटना दिनांक को उसकी अनुमानित आय 4,000/— रूपये होना प्रमाणित पायी जाती है।

35— दुर्घटना के समय मृतक की आयु 51 साल 07 माह 16 दिन पायी गयी है। <u>न्यायदृष्टांत नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय शेठी एआईआर—2017 एससीसी— 5157</u> पांच न्यायमूर्ति की पीठ द्वारा निर्णय की कंडिका—61(2) के अनुसार स्वरोजगार वाला या नियत वेतन पर काम

करने वाला होने पर भविष्य की संभावना मृतक की आयु 50 वर्ष से 60 वर्ष के अंदर हो तो वास्तविक वेतन का 10 प्रतिशत और जोड़ा जावेगी।

36— मृतक ललुआ की औसत आय 4000/— रूपये निर्धारित की गयी है। जिसका 10 प्रतिशत 400/—रूपये जोड़ने पर मृतक ललुआ की आय लगभग 4400/— रूपये प्रतिमाह भविष्यवर्ती निर्धारित की जाती है।

37— आ0सा0—1 पंचू बैगा (आवेदक कं0—2) ने शपथ के कथनों में बताया कि पिता की मृत्यु के पश्चात् वह बेसहारा हो गये है। वह मृतक का पुत्र एवं तथा अन्य आवेदकगण मॉ एवं बहन हैं।

38— मृतक के आश्रितों में उसके पत्नी, पुत्र एवं पुत्री हैं जिसके कारण **सरला वर्मा विरूद्ध देहली परिवहन विभाग ए.आई.आर 2009 सु0को0 3104** में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार उसके जीवन निर्वाह खर्च में आय का मृतक विवाहित होने और परिवार में 2—3 आश्रित सदस्य हों तो आय का 1/3 भाग जीवन निर्वाह में खर्च होगा।

39— मृतक ललुआ की आय 4400/— रूपये मासिक होना प्रमाणित पाई जाती है और उसके परिवार के सदस्यों में 03 आश्रित हैं जिसके कारण मृतक द्वारा अपने आश्रितों पर 1466/— रूपये व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च होगा और शेष राशि 2934/—रूपये मासिक आय पाई जाती है और वार्षिक के रूप में 35,208/— रुपए आय प्राप्त होना पाई जाती है।

40— न्यायदृष्टान्त नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी एआईआर—2017 एससी—5157 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णय चरण 61(VI) में प्रतिपादित किया गया कि— गुणंक के संबंध में न्यायदृष्टांत—सरला वर्मा विरूद्ध दहली परिवहन विभाग ए.आई.आर 2009 सु0को0 3104 के अनुसार गुणंक लगेगा। पूर्व की विवेचना एवं निष्कर्ष अनुसार मृतक की आयु 51 साल 07 माह 16 दिन होना पाई गई है जिसके कारण 11 का गुणांक लगेगा जिसके आधार पर 3,87,288/— रुपए (तीन लाख सतासी हजार दो सौ अठासी रूपये) आश्रितता की क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी।

41— आवेदक ने क्षतिपूर्ति आवेदन में अंतिम संस्कार एवं शव को ले

जाने में लगे व्यय दो लाख रूपये की मांग की है।

42— माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी एवं अन्य, स्पेशन लीव पीटीशन (सिविल) न. 25590/2014 में 31 अक्टूबर 2017 को दिए गए निर्देशानुसार आवेदकगण जो अपने पति एवं पिता से वंचित हुए इस मद में 40,000/— रुपए सम्पदा की हानि के लिए 15,000/— रुपए एवं मृतक के अंतिम संस्कार का व्यय 15,000/— रुपए पाने की पात्र है। इस प्रकार कुल—70,000/— रुपए आवेदकगण प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं।

43— आवेदकगण ने आवागमन के व्यय का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। मृतक ललुआ की मृत्यु जिला चिकित्सालय शहडोल में हुई थी तथा वह ग्राम हर्री टोला गोहपारू का निवासी था जिसके कारण आवागमन के लिए 1,000/— रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।

44— अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण निम्नानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैः—

क्रं0	**शीर्षक**	**राशि**
01	वेतन	4,000/— रुपये
02	भविष्य की संभावना (10 प्रतिशत)	4,00/— रुपये
03	व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च की कटौती	2,934/— रुपये
04	11 का गुणांक प्रयुक्त करने पर प्रतिकर	3,87,208/— रुपये
05	सहचर्य हानि या कन्सोर्शियम	40,000/— रुपये
06	दाह संस्कार खर्च	15,000/— रुपये
07	सम्पदा हानि	15,000/— रुपये
08	आने जाने का व्यय	1,000/— रुपये
	कुल प्राप्त होने वाली प्रतिकर राशि	**4,58,288/— रुपये**

45— जहां तक प्रश्न उक्त क्षतिपूर्ति राशि किस अनावेदक से वसूली योग्य होने का है। अनावेदक क्रं0—02 बीमा कंपनी का लिखित तर्क है कि

दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन बीमा पॉलसी की शर्तों के उल्लंघन में दुर्घटना के समय चलाया जा रहा था जिसके कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रकरण में फंडामेंटल ब्रीच प्रमाणित है जिसके कारण बीमा कंपनी मृतक की क्षतिपूर्ति राशि के लिए उत्तरदायी नहीं है, समर्थन में न्यायदृष्टांत–नरेन्द्र सिंह बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 2014(3) व्ही0 नोट–58 सु0को0, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी बनाम सुजाता अरोरा 2013(3) डी0एम0पी0 289 सु0को0, कस्तूरी बाई बनाम जवाहर सिंह 2018(2) व्ही0 नोट–56 म0प्र0 उच्च न्यायालय, राजेश बनाम कुसुम बाई 2020(1) व्ही0नोट–46, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी बनाम रामनाथ 2021 (2) टी0ए0सी0 148 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पेश किया है।

46– न्यायदृष्टांत नरेन्द्र सिंह बनामस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 2014(3) व्ही0 नोट–58 सु0को0, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी बनाम सुजाता अरोरा 2013(3) डी0एम0पी0 289 सु0को0, कस्तूरी बाई बनाम जवाहर सिंह 2018(2) व्ही0 नोट–56 म0प्र0 उच्च न्यायालय, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी बनाम रामनाथ 2021 (2) टी0ए0सी0 148 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पेश किया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाहन का मोटरयान अधिनियम की धारा–39 के तहत वैध रजिस्ट्रेशन, परमिट न होने पर बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति हेतु दायी नही पाया था जो कि बीमा की फंडामेंटल ब्रीच के तहत था।

47– वाद प्रश्न क्रं0–03 की विवेचना एवं निष्कर्षानुसार प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना के समय अनावेदक क्रं0–01 द्वारा बिना वैध रजिस्ट्रेशन, वैध ड्रायविंग लायसेंस, परमिट के तहत चलाया जा रहा था जिसके कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए दायी नहीं है। न्यायदृष्टांत राजेश बनाम कुसुम बाई 2020(1) व्ही0नोट–46 जिसमें फंडामेंटल ब्रीच होने पर पे एंड रिकवर का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

48– उक्त प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मोटरसायकल थी इस प्रकरण में प्रश्नगत वाहन ऑटो है जिसमें मृतिका ललुआ यात्रा कर रहा था अनावेदक क्रं0–01 द्वारा तेज रफ्तार एवं

लापरवाही पूर्वक चलाकर ऑटो से ललुआ को गिरा दिया था जिसके कारण वह बीमा के संबंध में तीसरा पक्षकार था। दुर्घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन अनावेदक क्रं0–02 बीमा कंपनी के यहॉ बीमित था तथा इसलिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि देने के लिये उत्तरदायी सीधे रूप से नही है बल्कि पे एंड रिकवर के सिद्वान्त के आधार पर जो क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जाती है उसे बीमा कंपनी द्वारा पहले आवेदकगण को भुगतान करना होगा और बीमा कंपनी उक्त राशि को अनावेदक क्रं.–01 से वसूल करने की अधिकारी रहेगी।

49– अतः उपरोक्त साक्ष्य एवं विश्लेषण के आधार पर वाद प्रश्न क्रं.–04 के संबंध में निष्कर्ष दिया जाता है कि आवेदकगण अनावेदक क्रं0–01 से 4,58,288/– रुपए (चार लाख अन्ठावन हजार दो सौ अठासी रुपये) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। पे एंड रिकवर के सिद्धान्त के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि अनावेदक क्रमांक–02 बीमा कंपनी आवेदकगण को भुगतान करे उसके पश्चात् अनावेदक क्रं0–01 से वसूले।

वाद प्रश्न क्रमांक–05 की विवेचना एवं निष्कर्ष :–

50– वाद प्रश्न क्रमांक–01 से 04 की विवेचना एवं निष्कर्षानुसार आवेदकगण अपना दावा अनावेदक क्रं0–01 के विरूद्ध प्रमाणित करने में आंशिक रूप से सफल रहा। अनावेदक क्रं.–01 द्वारा वाहन का चालन बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लघंन में किया जा रहा था। वाद प्रश्न क्रमांक–04 के निष्कर्षानुसार पे एंड रिकवर के सिद्वान्त के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि अनावेदक क्रमांक–02 आवेदकगण को भुगतान करे उसके पश्चात् अनावेदक क्रं0–01 से वसूले। अतः आवेदकगण, अनावेदक क्रमांक–01 से 4,58,288/– रुपए (चार लाख अनठावन हजार दो सौ अठासी रुपये) क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। अनावेदक क्रमांक–01 उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज तथा आवेदकगण के प्रकरण का व्यय अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं। आवेदकगण उपरोक्तानुसार स्वीकृत क्षतिपूर्ति की राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक–11.10.2018 से राशि की पूर्ण अदायगी होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा सावधि निक्षेप राशि पर प्रचलित बैंक ब्याज पर प्राप्त करने का अधिकारी है।

51— अतः आवेदकगण का क्षतिपूर्ति का दावा अंशतः स्वीकार कर निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता हैः—

क्रं0	**आदेश**
1-	यह कि, अनावेदक क्रं0—01, आवेदकगण को मृतक ललुआ की मृत्यु के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि 4,58,288/— रुपए (चार लाख अनठावन हजार दो सौ अठासी रुपये) एवं उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज आवेदन प्रस्तुति दिनांक 11.10.2018 से पूर्ण अदायगी दिनांक तक अदा करेंगे। उक्त क्षतिधन राशि अधिनिर्णय दिनांक से 2 माह की अवधि में अधिकरण में जमा कराई जावे।
2-	यह कि भुगतान करे एवं बसूल करे के नियम के आधार पर 4,58,288/— रुपए (चार लाख अन्ठावन हजार दो सौ अठासी रुपये) की राशि दो माह की अवधि के अंदर दावा प्रस्तुति दिनांक 11.10.2018 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अनावेदक क्रं.—02 बीमा कंपनी द्वारा आवेदकगण को अदा की जावे तथा भुगतान की गई राशि को बीमा कंपनी अनावेदक क्रं.—01 से मय ब्याज के यदि उक्त राशि का भुगतान 60 दिन के अंदर नही किया जाता है तो निष्पादन की कार्यवाही प्रारंभ कर बसूल कर सकती है।
3-	यह कि, कुल अवॉर्ड राशि में से 50 प्रतिशत आवेदक क्रं0—01 को एवं शेष 50 प्रतिशत में से 25—25 प्रतिशत आवेदक क्रं.—02 एवं 03 को प्रदान की जावे।
4-	आवेदक क्रं.—01 को प्राप्त होने वाली 50 प्रतिशत राशि में से 25 प्रतिशत राशि किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में 05 साल की अवधि के लिए सावधि जमा की जावे और शेष 25 प्रतिशत राशि बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे।
5-	आवेदक क्रं.—02 व 03 को प्राप्त होने वाली 25—25 प्रतिशत राशि किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे।
6-	उक्त क्षतिधन राशि अधिनिर्णय दिनांक से 02 माह की अवधि में

	अधिकरण में जमा कराई जावे यदि दोष रहित दायित्व के अंतर्गत कोई राशि अदा की गई हो तो वह राशि क्षतिधन राशि में से कम की जावे शेष राशि का भुगतान आवेदकगण को किया जावे।
7-	यह कि, उक्त सावधि जमा रसीद पर कोई जमानत, कर्ज स्वीकार नहीं किया जावेगा और परिपक्वता पर राशि अधिकरण के आदेश से देय होगी।
8-	यह कि, अनावेदकगण अपने अपने स्वयं का एवं आवेदकगण के प्रकरण का व्यय भी संयुक्तः एवं पृथकतः रूप से अदा करेंगे। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूचीनुसार पांच सौ रुपए की सीमा तक या जो कम हो देय होगा।

तद्नुसार व्यय सूची बनाई जावे।

अधिनिर्णय घोषित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

शहडोल
दिनांक– 06.03.2023

(प्रिवेन्द्र कुमार सेन)
तृतीय अतिरिक्त सदस्य
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
शहडोल (म0प्र0)

PRIVENDRA KUMAR SEN
Digitally signed by PRIVENDRA KUMAR SEN